INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	IN-UP[illegible]W
Certificate Issued Date	06 Feb 2024 05:16 PM
Account Reference	NEWIMPACC (SV)/ up14286304/ RAEBARELI SADAR/ UP-R
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUP[illegible]30406780070008388W
Purchased by	AMAR NATH SO RAM CHARAN
Description of Document	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	
First Party	AMAR NATH SO RAM CHARAN
Second Party	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	AMAR NATH SO RAM CHARAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	100 (One Hundred only)

(घोषणा - पत्र)

मैं/हम .... निवासी [illegible] और [illegible] के [illegible]

(क)मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं अनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के [illegible] .... से 2 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए [illegible] उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए प्रभार और [illegible] सहमत हूँ/सहमति है।

(ख)मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत संहिता (विद्युत) को उसमें उल्लिखित किन्हीं उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम [illegible] के उपबन्धों का उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम [illegible] के उपबंधों से जहां तक वे लागू हैं बाध्य होने को सहमत हूँ/हैं।

(ग)मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त [illegible] का मालिक [illegible] के अनुज्ञप्तिधारी के [illegible] के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति की [illegible] हैं।

(घ)मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न [illegible] के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे हैं उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

(ङ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह संयोजन एक वर्ष पश्चात [illegible] के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है

च) जमा योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन [illegible] नहीं है ऐसी दशा मे उसी परिवर्तक से उ०प्र० पावर कार्पो०लि० द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी

छ)उपरोक्त कारणोंवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है या संयोजन मे प्रयोग होने वाली निगम की सामग्री जिसका पैसा उ०प्र०पा०का०लि० मे जमा है पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा मे मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ज)उपभोक्ता को पूर्व मे स्थापित परिवर्तक से एल०टी०लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसी स्थिति मे उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु कुछ के अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
[illegible]-रायबरेली

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.